11—03—2026,

ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीगण तथा कैवियेटर के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

यह प्रकीर्ण व्यवहार अपील विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) चन्दौली द्वारा वाद संख्या 39/2025 जयशंकर आदि बनाम विरेन्द्र उपाध्याय आदि में पारित आदेश दिनांकित 06—01—2026 के विरूद्ध योजित की गयी है। आलोच्यादेशानुसार विद्वान अवर न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग खारिज किया है। प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध प्रकीर्ण अपील ग्राह्य है। अंगीकृत की जाती है। पंजीकृत की जाये।

प्रार्थनापत्र 6ग अपीलार्थीगण की ओर से वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। वगैर प्रत्यर्थीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं है।

विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। इस हेतु अपीलार्थीगण पैरवी अन्दर सप्ताह करें। प्रार्थनापत्र 6ग सहित अपील की सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 09—04—2026 को पेश हो।

प्रभारी, जिला जज,
चन्दौली।